HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना बिवांर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-96/2024 धारा-376,450,506 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 **मा0 न्यायालय डी.जे कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **प्रमोद कुमार पुत्र रामप्रकाश कुशवाहा** निवासी मुटनी, थाना बिवांर को दोषसिद्ध करते हुये **10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹7,000/- के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।

	डीजीसी राजेश कुमार शुक्ला		**विवेचक-** **निरीक्षक रनवीर सिंह**		पैरोकार- थाना-बिवांर का0 श्रीकान्त राजपूत